अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 474/2012** रामू महतो — अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्टस **–:आदेशः–** प्रस्तुत अपील वाद राजू महता द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 08.10.2012ई0 अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 152/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में करते है कि खतियान का क्रमांक 276 सरकार के पुर्नवास योजना के तहत विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने के प्रावधान के अंतर्गत ग्रामः डुमरा, थानाः नवहट्टा, जिलाः सहरसा अंतर्गत ले० आ० नं०: 272 अंश रकवाः 27 डी० सरकार द्वारा बसाया गया तथा पुर्नवास पदाधिकारी कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल प्रमाण पत्र दिनांकः 20.12.2005 को निर्गत है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के माध्यम से आगे यह भी कथन करते है कि ले० आ० सं० 272 में 11 डी० रिक्त जमीन का अस्थायी बंदोबस्ती 2005 ई० में की गई तथा अपीलार्थी/वादी को दखल दिला दिया	

गया तथा अपीलार्थी/वादी बिहार सरकार के सिरिस्ता में राजस्व मो० 110.00 रू० प्रति वर्ष जमा करते आ रहे हैं जिसकी रसीद दिनांकः 29.04.2005 वर्षः 2004–05 एवं 2005–06 रसीद दिनांकः 02.05.2005 वर्षः 2006–07 है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि प्रतिवादी संख्याः 02 मामलाबाज है तथा अपीलार्थी/वादी की सज्जनता का फायदा उठाकर वादी के पुर्नवास योजनान्तर्गत प्राप्त भूमि 11 डी० को अतिक्रमित कर अपना फूस का घर बना लिये हैं तथा पक्कीकरण भी करते चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि पुर्नवास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल में आवेदन दिया तथा पुर्नवास पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांकः 290 दिनांकः 08.07.2005 के द्वारा थाना प्रभारी नवहट्टा को प्रेषित किया जिस भूमि पर अपीलाथी/वादी को खेती कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने की भी कथन है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अंचलाधिकारी नवहट्टा ने अपीलार्थी/वादी के दावे को सही पाते हुए रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के अवैध निर्माण को हटाने के लिए थाना प्रभारी, नवहट्टा को पुलिस बल मुहैया कराना सुनिश्चित करने का आग्रह किया वो अनेकों पदाधिकारी को प्रतिवादी संख्याः 2 के विरूद्ध अवैध निर्माण हटाने का कथन करते रहते हैं।

अपीलार्थी के आवेदन पर अंचल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्त्ता को देय आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में सी०.डब्लू०.जे०.सी० संख्याः 851/2007 दायर किया, जिसमें दिनांकः 15.07.11 को माननीय उच्च न्यायालय ने अंचलाधिकारी, नवहट्टा को चार माह के अंदर मामला को अंतिम रूप देने का आदेश पारित करने का कथन किया गया है तथा अंचलाधिकारी के द्वारा नाजायज कब्जा नहीं हटाया गया तथा अपीलार्थी/वादी ने अस्थायी बंदोबस्ती से प्राप्त भू–खण्ड 11 डी० पर से प्रतिवादी संख्याः 02 के अतिक्रमण को नाजायज घोषित करते हुए अपीलार्थी/वादी को सरजमीन पर दखल दिलाने के वास्ते अपेक्षित प्रशासनिक सहायता प्रदान करने की मांग न्यायालय से किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि विपक्षी ने निम्नन्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल किये। विपक्षी का कथन था कि रामकिशुन महतों अपीलार्थी/वादी रामू महतो के पिता नहीं हैं तथा *विवादी जमीन पुनर्वास पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में ही विपक्षी राम प्रसाद मुखिया को बन्दोबस्ती के द्वारा प्राप्त है एवं अमीन से नापी कराकर उन्हें दखल दिला दिया गया है, जिस पर विपक्षी 1993 से ही घर*

बनाकर रहते चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थी/वादी के द्वारा गलत ढंग से विवादी भूमि के निश्वत गलत बन्दोबस्ती रसीद के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि विवादी जमीन पर विपक्षी का घर मकान कायम है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि पक्षकारों के द्वारा दाखिल सबूत कागजात एवं अभिवचन के आलोक में माननीय निम्न न्यायालय ने सही तथ्य से हटकर गलत वो नाजायज आदेश दिनांक 08.12.12 को पारित किये हैं जिससे विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद लाया गया है वो निम्नन्यायालय के आदेश के कियान्वयन पर रोक लगाने एवं सुनवाई कर निम्न न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी/ वादी के पक्ष में डिक्री देने हेतु कथन करते है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विवादी भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा वर्ष 1993 ई0 से चला आ रहा है बतलाया गया है जबकि राम किशुन महतों के नाम निर्गत प्रमाण पत्र 20.12.05 का बतलाया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकनोरांत यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी /वादी अपना दावा निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में सावित करने में असफल रहे हैं। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा